फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

जैसाराम पुत्र जैमाराम उम्र 48 साल जाति-रावणा राजपूत (दर्जी) निवासी गालो का पार कोरड़ा तहसील शिव बनाम भीमाराम पुत्र जैमाराम व और (06)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अधि. मुकदमा नम्बर 172 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/05/2025	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सिमाग ५५० ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/05/2025 को पेश हो ।	8194 12/05/2025
16.5.25	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 23.6.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
26.5.25	प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली तलब कर त्वरित सुनवाई का प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षीगण के तामीलशुदा नोटिस पेश किये शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण [illegible] एवं सुनवाई निषेधात्मक [illegible] दिनांक 30.5.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
30.5.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 16.6.25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:02 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें

16.6.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उप.। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण का इन्तजार एवम् निषेधाज्ञा की अंतरिम बहस हेतु दिनांक 2.7.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

02.07.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली में प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्तमान में विपक्षीगण विवादित आराजी में सोलर प्लांट लगाने पर आमादा है। प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरुद्ध विवादित आराजी में सोलर प्लांट नहीं लगाने, निर्माण कार्य नहीं करने तथा मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावें।

प्रार्थी वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन में मूल अनुतोष सोलर कार्य को रोकने हेतु चाहा गया है जबकि रेकर्डेड खातेदार अपनी भूमि में लीज द्वारा सोलर प्लांट लगाने हेतु स्वतंत्र है। विपक्षीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने व अपनी सुविधा अनुसार [illegible] करने के अधिकारी है अतः [illegible] सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति [illegible] के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:02 IST
Reason: SelfAttested